

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—345/2016/223 (2016/00345)

1. श्रीमती कानीदेवी पुत्री उदानाथ पत्नि शम्भूनाथ, जाति नाथ, नि० आमली तन देवलिया, तह० देवली, जिला टोंक ।
2. श्रीमती पांची पुत्री स्व० धन्नानाथ पत्नि लालानाथ, जाति नाथ, निवासी हिंगोनिया, तह० सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. लहरीनाथ पुत्र स्व० धन्नानाथ, जाति नाथ, नि० बीरवाड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. समरथनाथ पुत्र बन्नानाथ,
2. राजेन्द्र उर्फ राजूनाथ पुत्र बन्नानाथ,
3. धापू पत्नि बन्नानाथ,
4. पार्वती पत्नि बन्नानाथ,
5. नन्दानाथ पुत्र उदानाथ,
6. हीरानाथ पुत्र मोडूनाथ (मृतक) जरिये वारिसान:—
6/1— भूरानाथ पुत्र हीरानाथ,
6/2— प्रकाशनाथ पुत्र हीरानाथ,
6/2/1—कमला पत्नि प्रकाशनाथ,
6/2/2—नवल कुमार नाथ पुत्र प्रकाश नाथ,
6/2/3—पूजा पुत्री प्रकाश नाथ पत्नि नितेश नाथ,
जाति नाथ, नि० कालेड़ा, कृष्णगोपाल, तह० केकड़ी, जिला अजमेर ।
6/3— लक्ष्मण नाथ पुत्र हीरानाथ,
6/4— श्रीमती भूरी पुत्री हीरानाथ पत्नि दुर्गानाथ, जाति नाथ, निवासी छीपा मौहल्ला, बगरू, तह० बगरू, जिला जयपुर ।
6/5— श्रीमती अमरती पत्नि हीरानाथ,
7. श्योजीनाथ पुत्र धन्नानाथ,
8. महावीर नाथ पुत्र धन्नानाथ,
9. समन्दर नाथ पुत्र धन्नानाथ,
10. सागरनाथ पुत्र धन्नानाथ,
11. लाली पुत्री धन्नानाथ,
जाति नाथ, निवासी बीरवाडा, तह० केकड़ी, जिला अजमेर ।
12. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, केकड़ी जरिये प्रबंधक ।
13. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, केकड़ी, जिला अजमेर जरिये प्रबंधक ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 25.7.2016 अंतर्गत वाद संख्या 72/2016.

उपस्थित:—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4.
3. रेस्पोंडेंट संख्या 5 से 11 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंडेंट संख्या 14.

निर्णय

दिनांक:— 31.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.7.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वर्तमान अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 14 के विरुद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बीरवाडा, तह0 केकड़ी स्थित सारणी-अ में अंकित आराजियात खाता संख्या नये 61 पुराने 50 कुल किता 22 कुल रकबा 7.82 है0 में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा, उदानाथ का 1/4 हिस्सा तथा धन्नानाथ का 1/2 हिस्सा निहित है । इसी प्रकारण सारणी-ब में अंकित आराजियात खाता संख्या नये 62 पुराने 49 कुल किता 6 कुल रकबा 1.53 है0 में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा, उदानाथ का 1/4 हिस्सा, मोडूनाथ का 1/4 हिस्सा तथा धन्नानाथ का 1/4 हिस्सा निहित है एवं सारणी-स में अंकित आराजियात खाता संख्या नये 194 पुराने 162 कुल किता 7 कुल रकबा 2.56 है0 में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 का 1/6 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 3 का 1/3 हिस्सा तथा हीरानाथ पुत्र मोडूनाथ का 1/4 हिस्सा तथा धन्नानाथ का 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त आराजियात का आज दिनांक न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है, हालांकि सभी पक्षकारान के हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में चली आ रही है लेकिन विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है जिसका नाजायज लाभ अर्जित करने के इरादे से प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 11 मूल्यवान एवं उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर विक्रय करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार विधिक बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 9.6.2016 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर उक्त प्राथमिक आज्ञापति में ही पृथक-पृथक भूमियां अंकित कर दी एवं दिनांक 19.7.2016 को बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अपीलांटस की अनुपस्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 25.7.2016 को अंतिम डिक्री पारित की गई । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र दिनांक 6.4.2016 को पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गए एवं आगामी पेशी दिनांक 23.5.2016 की पत्रावली कैम्प कोर्ट में रेफर करने बाबत् आदेशित कर दिया गया तत्पश्चात् दिनांक 9.6.2016 को कैम्प कोर्ट में पेशी नियत की जहां पर प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 व 7 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर वादीगण एवं शेष रेस्पो0 तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसी दिन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा उक्त प्राथमिक डिक्री में ही अधी0न्याया0 द्वारा पृथक-पृथक भूमियां अंकित कर दिनांक 19.7.2016 को बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 25.7.2016 को अंतिम डिक्री पारित कर दी

जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादपत्र के सभी पक्षकारान यथा समस्त वादीगण एवं समस्त प्रतिवादीगण द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत करने के बाद तस्दीक राजीनामा ही प्राथमिक डिक्री जारी की जा सकती थी लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में मात्र चार प्रतिवादीगण उपस्थित हुए जिनके द्वारा वादीगण के साथ दुर्भिसंधी कारित की गई थी, उनके अतिरिक्त समस्त वादीगण एवं शेष प्रतिवादीगण जानकारी के अभाव में अनुपस्थित होने के बावजूद एवं राजीनामा नहीं करने के बावजूद अधी०न्याया० द्वारा तथाकथित राजीनामों के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो विधिविरुद्ध है तथा ऐसी विधिविरुद्ध पारित प्राथमिक डिक्री के आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.7.2016 भी प्रारंभ से अवैध होकर निरस्तनीय है। अधी०न्याया० द्वारा दिनांक 9.6.2016 को मुर्तिब प्राथमिक आज्ञापति में ही बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट की भांति पृथक-पृथक बंटवारा कर दिया गया एवं प्राथमिक डिक्री के निर्णय के अंतिम पैरा में कुर्रजात रिपोर्ट तलब करने हेतु भी आदेश पारित कर दिया गया एवं दिनांक 18.8.2016 को आगामी पेशी नियत की गई लेकिन पत्रावली दिनांक 25.7.2016 को ही पुटअप की जाकर अंतिम आज्ञापति जारी कर दी गई । इस प्रकार अधी०न्याया० द्वारा आदेश 20 जा०दी० के प्रावधानों को पूर्णतया नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर०बी०जे० 2019 पेज 312, 320, ए०आई०आर० 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 1139, डी०एन०जे० 1996 राज० हाई कोर्ट पेज 1, आर०बी०जे० 1995 पेज 668 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पोंडेंटस संख्या 1 लगायत 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । अधी०न्याया० के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1, 4, 5 व 7 द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जिसके अनुसार अधी०न्याया० ने प्राथमिक डिक्री पारित की है तत्पश्चात् बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलांटस अधी०न्याया० के समक्ष जानबूझकर अनुपस्थित रहे है । अधी०न्याया० ने विधिसम्मत रूप से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०टी० 2016-2017 पेज 714 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर निवेदन किया कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय की अपील पोषणीय नहीं है । अतः अपील निरस्त की जावे ।
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी०न्याया० द्वारा दौराने कैम्प भराई दिनांक 9.6.2019 को अपीलांटस कानीदेवी, पांची एवं लहरी नाथ की अनुपस्थिति में बिना उनकी सहमति एवं राजीनामा प्राप्त किये एवं वाद के अन्य पक्षकारान की सहमति व राजीनामों के दिनांक 9.6.2016 को प्रस्तुत अपूर्ण राजीनामों के आधार पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है। अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध अपीलांटस द्वारा अपील संख्या 341/2016/223 (2016/00341) बउनवान श्रीमती कानीदेवी बनाम समरथनाथ वगै० हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.10.2019 द्वारा अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.

6.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । चूंकि हाजा न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.6.2019 निरस्त कर दी गई है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.7.2019 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांक 19.7.2016 नायब तहसीलदार द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जिसे भी विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल की लार्जर बैंकच का न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 312 प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.7.2016 निरस्त योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.7.2016 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर